परिशिष्ट-अ

Skill India

कार्यालय-प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Site:- http://itirjnd.ac.in/

Industrial Training Institute

☎ 07744-296406 e-mail:- itirjnd@rediffmail.com

क्रमांक-औप्रसं/राज /स्था./मे.प्र./2024/ 1925 /राजनांदगांव, दिनांकः 18 /11/2024

// विज्ञापन//

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर,नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के आदेश के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,राजनांदगांव के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में संचालित शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पद के रिक्त पदों के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.12.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। संस्थावार/व्यवसायवार/विषयवार रिक्त पदो की जानकारी, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है-

1. पदों की जानकारी :-

सरल क्र.	व्यवसाय का नाम	औप्रसं राजनांदगांव	औप्रसं डोंगरगढ़	औप्रसं लालबहादुर नगर	कुल
01	फिटर	-	-	01	01
02	विद्युतकार	01	-	01	02
03	सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रीकल)	01	-	-	01
04	वेल्डर	-	01	-	01
05	मैकेनिक डीजल	01	01	-	02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
01	फिटर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।

प्राचार्य
शा.औ.प्र.सं.
राजनांदगांव (छ.ग.)

02	विद्युतकार	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता **प्रशिक्षण** परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता **प्रशिक्षण** परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।
03	सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रीकल)	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रीकल) व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
04	मैकेनिक डीजल	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिशद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो। (4) हल्के मोटरयान (एल एम व्ही) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।
06	वेल्डर	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। (3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (एटीआई /सीटीआई/एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।

प्राचार्य
शा.औ.प्र.सं.
राजनांदगांव (छ.ग.)

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रकिया :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।
2. सी.टी.आई./ए.टी.आई.उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैध लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरान्त यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।

4.नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पेंड्री राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)से प्राप्त किया जा सकता है या https://rajnandgaon.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्य रूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पेंड्री राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) 491441 (पत्रव्यवहार का पूर्ण पता.पिन कोड.सहित) केवल स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक में प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के उपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से भरकर आवेदन प्रेषित/जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।(प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
4. संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्ताकों के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जायेगी। अनुभव आवश्यक नहीं है।
5. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूचीं तैयार कर की जाएगी।
6. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

प्राचार्य
शा.औ.प्र.सं.
राजनांदगांव (छ.ग.)

7. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
8. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निधारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त विलंब से प्राप्त होने हेतु संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जायेगें।
9. आवेदक एक से अधिक पदों/संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते है परन्तु उन्हें पृथक पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक पृथक आवेदन, पृथक-पृथक लिफाफें में जमा करना होगा।
10. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है)।
11. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
12. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी/दिया नहीं जावेगा ।
13. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
14. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 140.00 रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे, के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रू.15000.00 (पंद्रह हजार) रूपये मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
15. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा ।
16. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुये स्पष्ट कारण दर्शाते हुये उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
17. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रकिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
18. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,राजनांदगांव,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)